

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(32)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक १३/१०/२५

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, झुन्झुनू में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी करने हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह भासू अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट न० आर / 1906 / 2002) को विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, झुन्झुनू के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री ओम प्रकाश सैनी, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, झुन्झुनू को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलकटर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

  
१३/१०/२५  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(32)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 13/10/2024

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विनोद कुमार वर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/2085/2001) को विशिष्ट न्यायालय, अजा/अजजा(अ०नि०प्र०), झुन्झुनू में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक अजा/अजजा(अ०नि०प्र०), झुन्झुनू के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चर्ता) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री मोहम्मद रफीक, विशिष्ट लोक अभियोजक, अजा/अजजा(अ०नि०प्र०), झुन्झुनू को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

टू

(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाविवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाविवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

13/10/2024

(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(32)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 13/10/2024

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री नयन कमल भारती, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/ 167/ 1997) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, चिड़ावा जिला झुन्झुनू में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चिड़ावा जिला झुन्झुनू के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री वीर प्रकाश झाइडिया, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चिड़ावा जिला झुन्झुनू को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।


आज्ञा से

५०

(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

  
13/10/2024

(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि